सत्यनारायण यादव बनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01/7/24	प्रार्थी एवं उसके वकील उपस्थित नहीं है। कई बार रजिस्टर्ड डाक से आवश्यक रिमाइंडर भेजे गए। प्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रकरण अदालत की सुनवाई पर है। फलतः प्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। दायर प्रार्थना पत्र निर्णीत होकर बाद तकमील जमा अभिलेखालय कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Yadav
Date: 2024.08.06 10:37:38 IST
Reason: SelfAttested